सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 05/2017

राज्य सरकार जरिये प्रभू दयाल शर्मा, निरीक्षक, (बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं कृषि अधिकारी (फसल) व कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (वि0), दौसा .प्रार्थी

बनाम

मै0 श्री कल्याण बीज भण्डार रामगढ पचवारा प्रो0 विष्णु कुमार माठा पुत्र राम सहाय माठा जाति महाजन ग्राम पोस्ट रामगढ पचवारा जिला दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः1. श्री गोपाल लाल मीना, निरीक्षक, बीज उर्वरक एवं कृषि अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. प्रभू दयाल शर्मा, निरीक्षक, बीज उर्वरक एवं कृषि अधिकारी, पैरोकार सरकार
3. श्री प्रकाश चंद्र जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 31.10.2018

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि श्री प्रभू दयाल शर्मा,निरीक्षक, (बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं कृषि अधिकारी (फसल) व कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (वि0), दौसा द्वारा दिनांक 10.08.2017 को 1422 बैग यूरिया जब्त कर राजसात करने हेतु निवेदन किया ।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । बहस सुनी गई ।

विद्वान पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि दिनांक 10.08.2017 को श्री कल्याण बीज भण्डार रामगढ पचवारा के कृषि आदान विक्रय परिसर पर लगभग 2.00 बजे सहायक निदेशक कृषि (वि0) व कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) के साथ उर्वरक निरीक्षक द्वारा मैसर्स कल्याण खाद बीज भण्डार पर पहुॅचे वहॉ प्रो0 विष्णु कुमार माठा मिले जिनसे उर्वरक अनुज्ञा–पत्र,स्टॉक रजिस्टर एव क्रय बिल का अवलोकन किया गया दौराने निरीक्षण विक्रय परिसर पर मूल्य सूची पट्टी पर उर्वरक स्टॉक, मूल्य व तारीख का अंकन का अभाव पाया गया। स्टॉक रजिस्टर दिनांक 10.08.2017 तक संधारित नहीं पाया गया। संदेह के आधार पर चिन्हित गोदाम जिसका अनुज्ञा पत्र में इन्द्राज नहीं था नीम लोपित यूरिया श्रीराम ब्राण्ड भण्डारित पाया गया जिसकी संख्या माठा द्वारा 1200 बैग बताये किंतु भण्डारित स्थान पर 1422 बैग पाये गये। उर्वरक रजिस्टर में 1080 बैग दर्शाये हुए थे। जब्तशदा बैग में से 1200 बैग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 रामगढ पचवारा व 222 बैग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बीछा को सुपुर्दगी में दिये गये। अवैध गोदाम में भण्डारण के संबंध में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया किंतु अप्रार्थी द्वारा कोई प्रमाणित साक्ष्यों सहित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जब्तशुदा माल की एफआई आर सं0 266/17 दिनांक 10.10.2017 को दर्ज करवाई गई। जिसमें पुलिस द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट के न्यायालय में एफ आर नं0 02/2018 दिनांक 08.01.2018 को पेश की गई। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2018 को परिवादी की सहमति के आधार पर एफआर स्वीकार की जा चुकी है। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा भी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी फर्म कल्याण बीज भण्डार को बैंक गारण्टी वापिस लौटाई जाती

तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित कर प्रस्तुत किया गया है तथा विभाग में अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होना बताया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि दिनांक 10.08.2017 को अप्रार्थी फर्म मैसर्स कल्याण बीज भण्डार, रामगढ पचवारा के श्रीराम यूरिया के 1422 बैग अवैध रुप से जब्त कर लिये गये। जब्त किये गये बैग बारिश का पानी आ जाने के कारण व उनके खराब होने के डर के कारण उस समय रामजीलाल मीना पुत्र गोपाल मीना निवासी रामगढ पचवारा की दुकान में सुरक्षा की दृष्टि से रखवा दिया गया। प्रार्थी उक्त जब्त किये गये यूरिया बैग का मालिक है। जब्त किये गये बैग दिनांक 11.10.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा 4.50 लाख की बैंक गारंटी के आधार पर 1422 कट्टे अप्रार्थी फर्म को सुपुर्दगी में दिये जा चुके है। अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआई आर सं0 266/17 दिनांक 10.10.2017 को दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट के न्यायालय में एफ आर नं0 02/2018 दिनांक 08.01.2018 को पेश की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2018 को एफआर यह लिखते हुए फैसल कर दी गई कि परिवादी पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट है, एफआर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। एफआर अवलोकन किया गया। एफआर स्वीकार की जाती है। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा भी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी फर्म कल्याण बीज भण्डार को बैंक गारण्टी वापिस लौटाई जाती है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विभाग में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होना बताया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। जब अप्रार्थी स्वयं द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट के समक्ष पुलिस कार्यवाही से सहमत होना व एफआर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.04.18 पर स्पष्ट अंकित किया है और उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 16.04.18 को एफआर स्वीकार की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी फर्म पर की गई कार्यवाही अवैधानिक रुप से की गई है। अप्रार्थी को बे–वजह हैरान व परेशान करने की गरज से माल जब्त किया गया है। अप्रार्थी फर्म को माल पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। श्रीमान् द्वारा जब्त माल सुपुर्दगी में दिये जाने, पुलिस द्वारा अनुसंधान में एफआर पेश करने व पेश एफआर को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करने के कारण अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थी बैंक गारंटी प्राप्त करने का अधिकारी है। यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरुद्ध की गई जॉच नितांत झूँठी की गई है। अतः प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम खारिज फरमाया जावें व माल के पेटे जमा अप्रार्थी की बैंक गारंटी 4,50,000/– रुपये लौटाये जावें।

उभय पक्षस की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 10.08.2017 को श्री कल्याण बीज भण्डार रामगढ पचवारा के कृषि आदान विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण विक्रय परिसर पर मूल्य सूची पट्टी पर उर्वरक स्टॉक, मूल्य व तारीख का अंकन का अभाव पाया गया। स्टॉक रजिस्टर दिनांक 10.08.2017 तक संधारित नहीं पाया गया। चिन्हित गोदाम जिसका अनुज्ञा पत्र में इन्द्राज नहीं था के अलावा अन्य स्थान पर नीम लोपित यूरिया श्रीराम ब्राण्ड 1422 बैग भण्डारित पाये गये जिसकी संख्या माठा द्वारा 1200 बैग बताये किंतु उर्वरक रजिस्टर में 1080 बैग दर्शाये हुए थे। जब्तशदा बैग में से 1200 बैग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 रामगढ पचवारा व 222 बैग ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बीछा को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा अवैध गोदाम में भण्डारण के संबंध में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया किंतु अप्रार्थी द्वारा कोई प्रमाणित साक्ष्यों सहित प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जब्तशुदा माल की एफआई आर सं0 266/17 दिनांक 10.10.2017 को दर्ज करवाई गई। जिसकी जॉच पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा की जाकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट के न्यायालय में एफ आर नं0 02/2018

दिनांक 08.01.2018 को पेश की गई। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2018 को परिवादी की सहमति के आधार पर एफआर स्वीकार की गई है। एक तरफ परिवादी (कृषि विभाग) द्वारा अवैधानिक यूरिया बताया जाकर उसके जब्त किया गया है तथा अप्रार्थी फर्म की कई कमियाँ व स्टॉक रजिस्टर पूर्ण नहीं होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2017 को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6ए के तहत नीम लेपित यूरिया राजसात करने हेतु पेश किया गया व उसकी संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई व वादी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, लालसोट के समक्ष दिनांक 07.04.18 को उपस्थित होकर ऑर्डरशीट पर **"मैं पुलिस कार्यवाही से सहमत हूँ अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित है। एफआर स्वीकृति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।" स्व हस्त से अंकित किया गया है।** इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा सही रुप से पैरोकारी नहीं की गई व अप्रार्थी फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से मिलीभगत कर इस न्यायालय व माननीय सिविल न्यायालय का समय जाया किया गया है। जिसके लिए प्रार्थी दोषी है। **पैरोकार सरकार श्री गोपाल लाल मीना द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी फर्म कल्याण बीज भण्डार को बैंक गारण्टी वापिस लौटाई जाती है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित कर प्रस्तुत किया गया है तथा विभाग में अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नही है, अपने प्रा0 पत्र में अंकित किया है।** इससे स्पष्ट है कि स्वयं विभाग एक तरफ प्रकरण बनाता है और दूसरी तरफ स्वयं ही उसकी उचित पैरवी नहीं कर प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहता है। ऐसा उन्होनें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है। इस तरह की गई कार्यवाही संश्यात्मक प्रतीत होती है, साथ ही राज्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही व राज्य सरकार की मंशा व नियमों के विपरीत है। जिसके लिए प्रार्थी (वादी) उत्तर दायी है। अतः प्रार्थी श्री शर्मा व श्री मीणा के विरुद्ध नियमानुसार जॉच की जाकर कार्यवाही अलग से किया जाना उचित प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी उर्वरक विक्रय का लाईसेंसधारी है तथा दौरान जॉच निर्धारित स्थान के अलावा यूरिया रखा गया है। अप्रार्थी फर्म को जब्त यूरिया दिनांक 11.10.17 को पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। चूँकि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालसोट द्वारा दिनांक 16.04.2018 को परिवादी की सहमति के आधार पर एफआर स्वीकार की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रभाव शून्य हो जाने से स्वतः ही निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज योग्य है। साथ ही प्रार्थना–पत्र खारिज होने से अप्रार्थी फर्म को सुपुर्दगी में दिये गये यूरिया के पेटे जमा राशि स्वतः ही वापिस लौटायी जानी योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 खारिज किया जाता है। बैंक गारंटी निरस्त की जाती है व अप्रार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि रुपये 4,50,000/– वापिस लाटाई जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रार्थी प्रभू दयाल शर्मा व श्री गोपाल लाल मीना निरीक्षक,(बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं कृषि अधिकारी (फसल), कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (वि0), दौसा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्णय की प्रति मय ऑर्डरशीट माननीय सिविल न्यायालय लालसोट की छाया प्रति एवं दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाकर तहरीर के साथ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हों।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 31 अक्टूबर, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official